



उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ पीठ

रिट - सी संख्या - 6364 वर्ष 2026

वीरेंद्र कुमार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव गृह लखनऊ और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : विनोद कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 2

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कुमार, विद्वान राज्य अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित मुख्य अनुतोषों की मांग हेतु प्रस्तुत की गई है:-

"(क) विपक्षी संख्या-3 द्वारा याची के चरित्र प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 11.05.2026 को अस्वीकृत करने संबंधी आक्षेपित आदेश जो कि इस रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या-1 के रूप में संलग्न है को उत्प्रेषण प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश जारी कर रद्द किया जाए।

(ख) विपक्षीगण को यह आदेशित करते हुए परमादेश प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वे इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान इस माननीय न्यायालय द्वारा रिट-सी संख्या-718 वर्ष 2025 "अनिल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह विभाग लखनऊ एवं 3 अन्य" में पारित आदेश दिनांक 28.05.2025 का लाभ प्रदान करते हुए याची को चरित्र प्रमाण पत्र जारी करें।"

3. यह उल्लेखनीय है कि इस याचिका के आक्षेपित संलग्नक संख्या-1 के माध्यम से विपक्षी संख्या-3 द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र की मांग करने वाले याची के आवेदन को निरस्त कर दिया गया है।

4. इस याचिका में दिए गए तथ्यों एवं तर्कों तथा इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा (अनिल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) रिट-सी संख्या-718 वर्ष 2025 से संबंधित याचिकाओं के समूह में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2025 में दी गई टिप्पणियों पर सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत, यह न्यायालय पाता है कि इस प्रकरण में न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि प्रस्तुत प्रकरण इस न्यायालय द्वारा अनिल कुमार (उपरोक्त) एवं अन्य संबद्ध मामलों में पारित निर्णय से आच्छादित है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. संदर्भित आदेश दिनांक 28.05.2025 का प्रस्तर-2 निम्नवत है:-

"2. दिनांक 26.05.2025 को हमने रिट याचिकाओं के इस समूह में निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

याची के विद्वान अधिवक्ता श्री ललित किशोर तिवारी तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष मिश्रा को सुना।

हमारे आदेश दिनांक 06.05.2025 के अनुपालन में विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष मिश्रा ने सूचित किया कि उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग में इस विषय पर विचार-विमर्श हेतु एक बैठक आयोजित की गई थी। उस प्रक्रिया में यह पाया गया कि अन्य विभागों जैसे-राजस्व विभाग, लोक निर्माण विभाग, आबकारी विभाग आदि की राय की भी आवश्यकता हो सकती है, इस कारण अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका और कुछ उचित समय की मांग की गई है।

मांगा गया समय प्रदान किया जाता है। यद्यपि हम पाते हैं कि ऐसे चरित्र प्रमाण पत्रों की आवश्यकता विभिन्न प्रयोजनों जैसे-व्यावसायिक गतिविधियों, लाइसेंस प्राप्त करने, रोजगार आदि के लिए होती है। आपराधिक मामलों के लंबित होने के कारण जिनमें कभी-कभी छोटे-मोटे या लघुक अपराध शामिल होते हैं आवेदनों को निरस्त कर दिया जाता है। हमारी राय में उचित मार्ग यह होगा कि "चरित्र प्रमाणित नहीं किया जा सकता" जैसी रुढ़िवादी टिप्पणी करने या राय व्यक्त करने के बजाय, एक निर्धारित प्रारूप पर लंबित आपराधिक मामले, कथित अपराधों और कार्यवाही के स्तर का उल्लेख करते हुए निर्णय की सूचना दी जाए; तथा उक्त प्रारूप में प्रमाण पत्र संबंधित विभाग को प्रस्तुत किया जा सकता है, जो इस मामले में अपनी राय स्वयं बना सकता है।

कुछ प्रमाण पत्रों में हमने पाया है कि आपराधिक मामले या विचारण के लंबित होने का उल्लेख करने के बाद चाहे उसमें छोटे-मोटे अपराध ही क्यों न शामिल हों एक ऐसी टिप्पणी जोड़ दी जाती है कि उक्त कारण से व्यक्ति

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के चरित्र को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। यह एक सर्वव्यापी टिप्पणी है, जो कि अनुचित है। अन्य मामलों में हमने पाया है कि जहां चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है जैसे ज़िला मजिस्ट्रेट के समक्ष, जहां लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया हो या कोई व्यावसायिक गतिविधि जैसे ठेकेदारी आदि की जानी हो, वहां ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक मामलों के लंबित होने का हवाला देकर आवेदन निरस्त कर दिया जाता है। हमारी दृष्टि में यह भी अनुचित है। वास्तव में किया यह जाना चाहिए कि याची के विरुद्ध उपलब्ध सामग्री-अर्थात् आपराधिक मामलों का विवरण, कार्यवाही का स्तर आदि का उल्लेख करके इसे संबंधित विभाग या आवेदक को उपलब्ध करा दिया जाए। यह संबंधित विभाग जो रोजगार प्रदान करने वाला है या लाइसेंस देने वाला है का दायित्व होगा कि वह चरित्र प्रमाण पत्र में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर अपनी राय बनाए कि उसे आवेदक के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि याची के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 324 [भारतीय न्याय संहिता, 2023 की तत्संबंधी धारा 115 व 118(1)] के तहत कोई मामला विवेचनाधीन/जांच के स्तर पर लंबित है, तो यह एक लघु अपराध है और केवल एक एकांकी घटना के आधार पर क्या आवेदन निरस्त कर दिया जाना चाहिए या यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति का चरित्र प्रमाणित नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब मामला केवल विवेचना के स्तर पर हो? निसंदेह, यह उस विभाग की आवश्यकता पर निर्भर करेगा जिसे आवेदक से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। कभी-कभी कम सजा वाले अपराधों का भी समाज पर या उस गतिविधि/रोजगार के संदर्भ में गंभीर प्रभाव हो सकता है जिसके लिए चरित्र प्रमाण पत्र मांगा गया है, परंतु यह सब चरित्र प्रमाण पत्र में उल्लिखित सामग्री के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा राय बनाने का विषय है, न कि प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा यह राय व्यक्त करने का कि चरित्र प्रमाणित करने योग्य है या नहीं-शिवाय उन असाधारण मामलों के जहां मान लीजिए कोई व्यक्ति एन.डी.पी.एस. अधिनियम के मामलों में लिप्त है या उसमें दोषसिद्ध ठहराया जा चुका है या उसका लंबा आपराधिक इतिहास है या गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है अथवा विचारण चल रहा है आदि।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

हम इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अंबेडकरनगर द्वारा दिनांक 11.12.2024 को जारी चरित्र प्रमाण पत्र का उल्लेख कर सकते हैं जो रिट-सी संख्या 4798 वर्ष 2025 में दाखिल किया गया था। हमारी राय में, जिस प्रारूप पर वह प्रमाण पत्र दिया गया था, वह पूर्णतः उपयुक्त है। यह इस प्रकार है:-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT
ALLAHABAD SITTING AT LUCKNOW.

No. of 202

Versus
ANNEXURE No. 1



उत्तर प्रदेश पुलिस

कार्यालय

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त / पुलिस अधीक्षक

जनपद- अम्बेडकर नगर

प्रमाणपत्र संख्या - 316902467772

दिनांक- 11/12/2024



चरित्र प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कु./श्रीमती Akhilesh Kumar पुत्र/पुत्री/पत्नी/अभिभावक श्री Shri Pal Yadav, 118, Dhamapatti, Dama Patti, Po Goshainganj, निवासी -118, Dhamapatti, Dama Patti, Po Goshainganj थाना- अहिरौली, जनपद- अम्बेडकर नगर की जाँच सम्बंधित थाना, स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं नया अपराध अभिलेख ब्यूरो जनपद अम्बेडकर नगर से कराये जाने पर पुलिस अभिलेखों में उक्त अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के विरुद्ध जीआरपी अकबरपुर में मु0अ0सं0 96/22 धारा 143 R.A. का होना पाया गया। उक्त मुकदमे में आवेदक ने पांच हजार रुपये का जुर्माना अदा कर दिया है। इसके अलावा अन्य कोई अपराध का होना नहीं पाया गया। यह प्रमाण-पत्र मात्र एक वर्ष तक ही मान्य है।

Shubham Kumar

Digitally signed by Shubham Kumar
Date: 2024.12.11 13:29:42 +05'30'

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त / पुलिस अधीक्षक

अम्बेडकर नगर

यह कंप्यूटर जनित दस्तावेज़ है अतः किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
Crime and Criminal Tracking Network and Systems (CCTNS)

प्रमाणपत्र केन्द्रों के लिए मान्य नहीं है।



अखिलेश कुमार

गृह विभाग अगली बैठक में विचार हेतु इसे एक नमूने के रूप में ले सकता है। यह प्रमाण पत्र नियोक्ता या संबंधित विभाग के विवेक पर छोड़ता है कि वह उसमें उल्लिखित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर निर्णय ले कि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

लाइसेंस, व्यावसायिक गतिविधि या रोजगार दिया जाए या नहीं, बिना कोई अंतिम राय व्यक्त किए; क्योंकि मात्र किसी आपराधिक मामले का लंबित होना विशेषकर लघु अपराधों से संबंधित आवश्यक रूप से किसी व्यक्ति के संपूर्ण चरित्र को प्रतिबिंबित नहीं करता है। यह एक व्यक्तिगत/विषयनिष्ठ राय है जो उस संबंधित विभाग द्वारा बनाई जा सकती है जहां लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है या नियुक्ति मांगी गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व उल्लिखित निर्णय लिए जाने तक, हमारी यह राय है कि पुलिस अधिकारियों/ज़िला मजिस्ट्रेट को उपरोक्तानुसार दर्शाए गए प्रारूप पर ही प्रमाण पत्र जारी करने चाहिए, यद्यपि यह राज्य सरकार द्वारा लिए जाने वाले किसी भी निर्णय के अधीन होगा जब तक कि किसी विधिक प्रावधान के अंतर्गत चरित्र प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु कोई वैधानिक रूप से निर्धारित प्रारूप न हो। आवेदक के विरुद्ध जो भी आपराधिक प्रकरण लंबित हैं, केवल उनका और उनकी कार्यवाही के स्तर का चरित्र प्रमाण पत्र में उल्लेख किया जाएगा, उससे अधिक कुछ नहीं, जब तक कि कोई अन्य ऐसी सामग्री न हो जो संबंधित अधिकारी की राय को न्यायसंगत ठहराती हो उस स्थिति में राय भी व्यक्त की जा सकती है।

तदनुसार आदेश दिया जाता है।

इस प्रक्रम पर हमें सूचित किया गया है कि कई मामलों में चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने का आवेदन अवर्णनात्मक/अस्पष्ट आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है, जबकि अन्य मामलों में इसे आपराधिक मामलों के लंबित होने के कारण निरस्त कर दिया गया है, इसलिए उन्हें कुछ राहत प्रदान की जाए, अन्यथा उनका रोजगार या व्यावसायिक गतिविधि प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। इस पहलू पर विचार हेतु, इस प्रकरण को आने वाले कल के बाद (परसों) यानी 28.05.2025 को फ्रेश (नवीनतम सुनवाई हेतु) के रूप में सूचीबद्ध करें।"

6. उपरोक्तानुसार तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए, आक्षेपित अनुलग्नक संख्या-1 जो कि एक अकारण/अभाष्य आदेश है और उपर्युक्त संदर्भित आदेश दिनांक 28.05.2025 के निबंधनों

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के अनुरूप जारी नहीं किया गया है को एतद्वारा रद्द किया जाता है। संबंधित प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा उपर्युक्त संदर्भित निर्णय दिनांक 28.05.2025 में दर्शाये गए प्रारूप के अनुसार याची को चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत करे।

7. प्रस्तुत याचिका उपर्युक्त निबंधनों के साथ *अंतिम रूप से निस्तारित* की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया)

19 जून, 2026

ज्योति/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।